

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 59/2024

अनवान : -

1. जैता पत्नी सुलतान जाति धानक निवासी दलपतपुरा हाल निवासी किराड़ा तहसील भादरा।

-प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती  
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपरिस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी  
राजपेरोकार

निर्णय

दिनांक: - 21/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 532/469 की कुल 9.9400 हैक्ट भूमि में से 421/99400 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 193/200 की कुल 2.0860 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम जैतल पुत्री आशाराम सा0 दलपतपुरा दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थीया का वास्तविक व सही नाम जैता पत्नी सुलतान सा0 किराड़ा बड़ा तहसील भादरा है जो की प्रार्थीया के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र दर्ज है। अतः मुताबिक दस्तावेजों के प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में जैतल पुत्री आशाराम सा0 दलपतपुरा के स्थान पर जैता पत्नी सुलतान सा0 किराड़ा बड़ा तहसील भादरा दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का मुताबिक दस्तावेज पता दुरुस्त करे देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नहीं होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।



बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का नाम जैता पत्नी सुलतान सा0 किराड़ा बड़ा तहसील

अधिवक्ता  
नोहर

भादरा है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम जैतल पुत्री आशाराम सा० दलपतपुरा दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थीया के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स० 532/469 की कुल 9.9400 हैक्ट भूमि में से 421/99400 हिस्सा भूमि एवं खाता स० 193/200 की कुल 2.0860 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीया अपना नाम जैतल पुत्री आशाराम सा० दलपतपुरा के स्थान पर जैता पत्नी सुलतान सा० किराड़ा बड़ा तहसील भादरा दर्ज करवाना चाहती है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम जैता पत्नी सुलतान सा० किराड़ा बड़ा तहसील भादरा अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स० 532/469 की कुल 9.9400 हैक्ट भूमि में से 421/99400 हिस्सा भूमि एवं खाता स० 193/200 की कुल 2.0860 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम जैतल पुत्री आशाराम पता दलपतपुरा के स्थान पर जैता पुत्री आशाराम पत्नी सुलतान पता किराड़ा बड़ा तहसील भादरा का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीया के नाम जैतल पुत्री आशाराम पता दलपतपुरा के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थीया के नाम जैतल पुत्री आशाराम पता दलपतपुरा नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम जैतल पुत्री आशाराम पता दलपतपुरा लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 21/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर